Judgement of Central Administrative Tribunal Principal Bench, New Delhi

3765. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware about the judgement delivered on 25th September, 1992 by the Hon'ble Central Administrative Tribunal Principal Bench. New Delhi on case Regd. No. OA-472/91;

(b) if so, what were the directions of Hon'ble Tribunal in the application;

(c) whether the directions of the Hon'ble Tribunal have not been implemented by Government;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) by when these are likely to be implemen ed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA) : (a) Yes, Sir.

(b) The directions of Hon'ble Tribunal are to consider engaging the applicant as casual labour wherever vacancy exists and in preference to persons with lesser length of service, strictly in order of seniority in the live register of casual labourers.

(c) to (e) The directions are being implemented, and his name is being placed on the live register by Northern Railway.

बिहार में क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय

3766. श्री कामेश्वर पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में लगभग 6000 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन है और रेलवे को होने वाली आय का लगभग 10वां भाग बिहार राज्य से प्राप्त होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस तथ्य के बावजूद बिहार में एक भी क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय स्थापित नहीं किया गया है, जबकि इससे कम संसाधनों एवं अपेक्षाकृत काफी कम लम्बी रेल लाइनों वाले अन्य राज्यों में क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यरत हैं ;

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा बिहार की उपेक्षा के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार बिहार में क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 31-3-1992 को बिहार राज्य में रेलवे की मार्ग लंबाई 5,315.49 कि० मी० थी। चूंकि रेलों की आय राज्य-वार परिकलित नहीं की जाती, अतः बिहार से सम्बन्धित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) रेलों के इस तरह के कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं हैं । नये रेलवे जोन का सृजन और उसके मुख्यालय का स्थान निर्धारण किफायत और कार्य-कुशलता की जरूरतों के अनुरूप रेलों की परिचालनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर आधारित होता है । रेल सुधार समिति ने, भारतीय रेलों पर पुनर्गठन से सम्बन्धित सभी मसलों की गहराई से जांच करने के बाद, बिहार में मुख्यालय सहित किसी नये रेलवे जोन के सृजन की सिफारिश नहीं की थी ।

(घ) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है ।

EMU trains between Asansol and Bardhaman section

3767. SHRI SUNIL BASU RAY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Railways has taken a decision to introduce EMU trains between Asansol and Bardhaman section of Eastern Railway;

(b) if so, the details thereof; and